प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.04.2024

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व 02 अवैध चाकू बरामद।

घटना व कार्यवाही का विवरण- दिनांक 12.04.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा गंगनहर घाट से उसका मोबाइल फोन को चोरी कर लिया गया है। तत्काल प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट के माध्यम से दिनांक 12.04.2024 को रात्रि में चेंकिग के दौरान 03 शातिर चोर अभियुक्त 1. सागर कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2. आकाश पुत्र कैलाश सिंह निवासी अबूपुर थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 3. समीर पुत्र रफीक निवासी बिलाल मस्जिद के सामने कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गंगनहर लोहे के पुल जलालाबाद की ओर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया 01 मोबाइल फोन व 02 नाजायज चाकू बरामद हुए । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग मिलकर गंग नहर में नहाने आये लोगों के बाहर रखे कपड़े व सामान की चोरी करते है तथा चोरी किये गये सामान को बेचकर आपस में धन बराबर बांट लेते हैं। कल शाम के समय हम तीनों ने मिलकर गंग नहर किनारे रखे कपड़ों में से मोबाइल फोन चोरी कर लिया था।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त–

1. सागर कुमार पुत्र संजय कुमार निवासी अबूपुर थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
2. आकाश पुत्र कैलाश सिंह निवासी अबूपुर थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
3. समीर पुत्र रफीक निवासी बिलाल मस्जिद के सामने कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 मोबाइल फोन चोरी का

02 नाजायज चाकू

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना निवाड़ी पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा ''डकैती'' की घटना का 72 घन्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार तथा ''डकैती'' में गया माल बरामद।

घटना व कार्यवाही का विवरणः-

दिनांक 10.04.2024 को श्री मोहित त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी निवासी कस्बा निवाड़ी द्वारा थाना निवाड़ी पर लिखित तहरीर मेरे घर से दिन के समय अज्ञात अभियुक्तों द्वारा मेरी भाभी दीपिका त्यागी को कुछ पदार्थ सुँघाकर 40 तोला सोना व 350000 नगदी ले जाने के संबंध में दी गई जिसमें तत्काल थाना निवाड़ी पर मु0अ0स0 50/24 धारा 395 भादवि में पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु 04 टीम गठित की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही व सीसीटीवी फुटेज व साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आए व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1.योगेन्द्र त्यागी उर्फ पप्पू पुत्र राजबल त्यागी निवासी पदेडा थाना व जनपद बागपत हाल सी 119 राधा गार्डन थाना गंगानगर मेरठ 2.सुनिता त्यागी पत्नी योगेन्द्र त्यागी निवासी पदेडा थाना व जनपद बागपत हाल सी 119 राधा गार्डन थाना गंगानगर मेरठ 3.अकबर पुत्र सादक अली निवासी बसौद थाना सिघावली अहीर बागपत 4.दीपिका त्यागी पत्नी दीपक त्यागी निवासी वार्ड नं0 09 मौहल्ला ब्रहमपुरी कस्बा व थाना निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अकबर द्वारा बताया गया कि अभियुक्त योगेन्द्र त्यागी पुत्र राजबल त्यागी द्वारा इस घटना को कारित करने के लिये मुझे 20000/ रूपये तय करके अपनी बेटी दीपिका त्यागी के घर पर जाकर षडयन्त्र के तहत नशा सुंघाकर चोरी व लूट की घटना कारित करने जैसा कृत्य करना तय हुआ था उसी आधार पर अभियुक्त अकबर द्वारा पीड़िता/अभियुक्ता दीपिका के घर निवाडी पर जाकर पीड़िता/अभियुक्ता से मिलकर लूट की घटना कारित करने जैसा कृत्य करते हुये घर का सामान बिखेरते हुये पीड़िता/अभियुक्ता को नशा जैसा पदार्थ सुंघाते हुये फर्जी लूट/डकैती की घटना का षडयंत्र रचा था। थाना निवाड़ी पुलिस एवं सर्विलांस टीम पुलिस उपायुक्त ग्रामीण द्वारा सीसीटीवी फुटेज पीड़िता/अभियुक्ता की सीडीआर का अभियुक्तों की सीडीआर से मिलान करते हुये घटना का सफल अनावरण किया गया है। पीड़िता/अभियुक्ता दीपिका त्यागी द्वारा बताया गया कि शेष जेवरात अब से करीब एक या सवा महीना पहले अपनी माँ सुनिता के साथ मिलकर मेरठ में किसी सुनार को बेचना बताया आज दिनांक 13.04.2024 को अभि0 योगेन्द्र व सुनीता को निवाडी रोड मोदीनगर से गिरफ्तार किये गये गिरफतारी के दौरान अभि0गण के कब्जे से लूटे गये सोने के जेवरात व मोबाइल फोन व नगदी बरामद की गई तथा अभियुक्ता दीपिका को उस के मसकन से गिरफ्तार किया गया व अभि0 अकबर को पतला धोलडी कट से गिरफ्तार किया व उस के पास से 10000 रुपये एक जोडी पजेव दो जोडी विछ्वे बरामद हुये अभि0 अकबर ने बताया कि दीपिका ने हम अपने घर पर बुलाया था, अभि0 से हमसाज होकर अपनी बेटी दीपिका के घर जाकर लूट करने जैसा नाटक करने एवज मे 20000 रुपये देने बताया व सुनीता व दीपिका उपरोक्त की गिरफ्तारी के मध्य जेवरात व नगदी बरामद की गई, एक गले का कंठी सैट, दो अंगूठी, दो कंगन समस्त पीली धातु, एक गले का हार पीली धातु, एक मंगल सूत्र, काले मोती की माला पीली धातु, दो छोटे गले के हार, काले मोती की माला पीली धातु, एक बडा हार जिस पर लाल मोती लगे है पीली धातु, एक जोडी पाजेब सफेद धातु, दो जोडी बिछुऐ सफेद धातु, एक चेन पीली धातु, 01 मोबाईल फोन, 2500 रूपये सुनिता से बरामद।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.योगेन्द्र त्यागी उर्फ पप्पू पुत्र राजबल त्यागी निवासी पदेडा थाना व जनपद बागपत हाल सी 119 राधा गार्डन थाना गंगानगर मेरठ

2.सुनिता त्यागी पत्नी योगेन्द्र त्यागी निवासी पदेडा थाना व जनपद बागपत हाल सी 119 राधा गार्डन थाना गंगानगर मेरठ

3.अकबर पुत्र सादक अली नि0 बसौद थाना सिघावली अहीर बागपत

4.दीपिका त्यागी पत्नी दीपक त्यागी निवासी वार्ड नं0 09 मौहल्ला ब्रहमपुरी कस्बा व थाना निवाड़ी गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. एक गले का कंठी सैट, दो अंगूठी, दो कंगन समस्त पीली धातु
2. एक गले का हार पीली धातु
3. एक मंगल सूत्र, काले मोती की माला पीली धातु
4. दो छोटे गले के हार, काले मोती की माला पीली धातु
5. एक बडा हार (जिस पर लाल मोती लगे है) पीली धातु
6. एक जोडी पाजेब सफेद धातु
7. दो जोडी बिछुऐ सफेद धातु
8. एक चेन पीली धातु
9. 12500 रूपये नगद
10. 01 मोबाईल फोन सेमसंग M14

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

थाना निवाड़ी में अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग की संख्या-01

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-</u>

थाना निवाड़ी पुलिस व सर्विलांस टीम डीसीपी ग्रामीण
कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 डंडा (आलाकत्ल) बरामद

दिनांक 11.04.2024 को वादी श्री विजय पुत्र महादेव निवासी सेखवापुर पूर्वी थाना माधोगंज जनपद हरदोई हाल निवासी टीला एक्सटेंशन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि अभियुक्त अमित पुत्र सुंदर मावी नि0 ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा वादी के पुत्र पंकज उम्र 28 वर्ष के साथ मारपीट करना जिससे वादी के पुत्र को गंभीर चोट आना जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाना के सम्बन्ध में दाखिल की थी जिसके सम्बन्ध में थाना पर तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया | अभियुक्त की गिरफ़्तारी के सम्बन्ध में टीम गठित की गयी | जिसके क्रम में दिनांक 13.04.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मंडोली रोड सेवाधाम मंदिर के पास से अभियुक्त अमित मावी पुत्र सुंदर मावी नि0 ग्राम टीला शहबाजपुर बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र का पास थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण – पूछताछ करने पर अभियुक्त अमित मावी ने बताया कि साहब मेरा मंडोली रोड पर श्रीराम धर्मकांटे के पास, एक्सपर्ट कार वाशिंग सेन्टर है जिस पर पंकज पुत्र विजय हाल निवासी टीला एक्सटेंशन थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद मेरे वाशिंग सेन्टर पर 04 माह पूर्व कार धुलाई का काम करता था तथा उसकी चोरी की शिकायतें मिलने पर मैंने उसे नौकरी से हटा दिया था, उसके बाद दिनांक 07/04/2024 को समय सुमित मावी अपनी स्कोरपियो कार धुलवाने आया था, मेरा नौकर आकाश उसकी कार धो रहा था। कार खुली हुई थी और मौका पाकर सुमित की कार से पर्स चोरी कर लिया | दिनांक 11/04/2024 को पंकज मेरे सर्विस सेन्टर के पास दिखायी दिया। मैंने उसे रोक लिया और पूछताछ की तो उसने पर्स चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि भारत सिटी थाना टीला मोड के पीछे पर्स को दस्तावेजों के साथ फेक दिया है | जहाँ पर तलाश करने पर हम लोगो को पर्स नहीं मिला फिर पंकज ने कई जगहों पर पर्स का फैकना बताया जिसके बाद मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर पंकज के साथ उसके बताये गए स्थानों पर पर्स को तलाश किया लेकिन फिर भी पर्स नहीं मिला जिसके बाद मैंने तथा मेरे साथियों ने गुस्से में आकर पंकज को डंडे तथा लात घूसों से मारापीटा | पंकज की तबियत ख़राब होने पर मै अपने नौकर आकाश की मदद से पंकज को अपनी बाइक पर लेकर जीटीबी अस्पताल गया। जहां पर पंकज को मृत घोषित कर दिया। और पुलिस के डर के कारण मै अस्पताल से भाग गया था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमित मावी पुत्र सुंदर मावी नि0 ग्राम टीला शहबाजपुर बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र का पास थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष

वांछित अभियुक्त

1-विशाल उर्फ़ विक्की पुत्र चरत राम ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 2-सुमित मावी पुत्र कंवर सिंह निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद 3- अक्षय निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बार्डर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम – थाना लोनी बार्डर पुलिस टीम